

प्ररूप सं. 15छ

[धारा 197क(1) और धारा 197क(1क) और नियम 29ग देखें]

कर की कटौती के बिना कतिपय आयों का दावा करने वाले किसी व्यष्टि या किसी व्यक्ति द्वारा
(जो कंपनी या फर्म न हो) की जाने वाली धारा 197क(1) और धारा 197क(1क)
के अधीन घोषणा

भाग-1

1. निधारिती (घोषणाकर्ता का नाम)	2. निधारिती का 1[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]			
3. प्रास्थिति	4. पूर्व वर्ष (पू.व.)	5. आवासीय प्रास्थिति		
6. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक संख्या	7. परिसर का नाम.....	8. मार्ग/गली/लेन	9. क्षेत्र/अवस्थान	
10. नगर/शहर/ज़िला	11. राज्य	12. पिन	13. ई-मेल	
14. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और मोबाइल संख्या	15. (क) क्या आयकर अधिनियम के अधीन कर का निधारण हुआ है: हाँ -- नहीं			
16. अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है	17. पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें संभ 16 में वर्णित आय को समाविष्ट किया जाना है			
18. पूर्व वर्ष के दौरान फाइल किए गए इस प्ररूप से भिन्न प्ररूप संख्या 15छ के ब्यौरे, यदि कोई हों				
फाइल किए गए प्ररूप संख्या 15छ की कुल संख्या	आय की कुल रकम जिसके लिए प्ररूप संख्या 15छ फाइल किया गया है			
19. आय के ब्यौरे जिनके लिए घोषणा फाइल की गई है				
क्रम संख्यांक	सुसंगत विनिधान/ लेखा की पहचान संख्या आदि	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अधीन कर कटौती योग्य है	आय की रकम

.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

घोषणा/सत्यापन

*मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि *मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार जो ऊपर कथन किया गया है, वह सही, पूर्ण और सत्य है। *मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि हम प्रस्तुप में निर्दिष्ट आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी कुल अनुमानित आय पर कर, स्तंभ 16 में निर्दिष्ट *आय/आयों सहित, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित स्तंभ 18 में निर्दिष्ट *आय/आयों की संकलित रकम निर्धारण वर्ष से सुसंगत को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए शून्य होगा। *मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि *मेरी/हमारी स्तंभ 16 में निर्दिष्ट *आय/आयों और निर्धारण वर्ष को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए स्तंभ 18 में निर्दिष्ट *आय/आयों की कुल रकम उस अधिकतम रकम जो कि आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है से अधिक नहीं होगी।

स्थान :

.....

तारीख :

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग 2

(भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए)

1. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	2. विशिष्ट पहचान संख्या	
3. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का 1[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	4. पूरा पता	5. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का ईमेल
6. ई-मेल	7. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और मोबाइल संख्या	8. संदत्त आय की रकम
9. तारीख जिसको घोषणा प्राप्त की गई (दिन/मास/वर्ष)	10. तारीख जिसको आय का संदाय किया गया/उसे जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	

स्थान :

.....

तारीख :

भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय

करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।